जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ऊना

जिला दण्डाधिकारी कार्यालय, ऊना, हिमाचल प्रदेश

आदेश

संख्या 712-732 डी.आर.ओ/रिलीफ-डीडीएमए दिनांक 10-01-2022

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ऊना द्वारा जारी आदेश संख्या 545-572/डी.आर.ओ/रिलीफ-डीडीएमए दिनांक 06-01-2022 और आदेश संख्या 585-615/डी.आर.ओ/रिलीफ-डीडीएमए दिनांक 09-10-2022 की निरंतरता में, मैं, राघव शर्मा, भा.प्र.से., जिला दण्डाधिकारी, ऊना, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 33 और 34 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में यह आदेश करता हूँ कि:

1. "NO MASK NO SERVICE" के नियम का सभी दुकानदारों / व्यवसायिक संस्थानों/ व्यापार मंडलों द्वारा कड़ाई से पालन किया जाना वांछित है।
2. दुकानों / व्यवसायिक संस्थानों/ बाजारों में आने वाले ग्राहकों/ व्यक्तियों के सैनेटाईजेशन की व्यवस्था दुकानदार द्वारा सुनिश्चित की जायेगी और फेस मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना अनिवार्य होगा।
3. दुकानदारों / व्यवसायिक संस्थानों/ व्यापार मंडलों के प्रबंधकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वह स्वयं मास्क का प्रयोग करेंगे और दुकानों/ व्यवसायिक संस्थानों/ बाजारों पर आने वाले व्यक्तियों से भी मास्क का उपयोग करवाया जाना और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना सुनिश्चित करेंगे।

श्रम निरीक्षक/ अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि निरीक्षण दैनिक रूप से उनके द्वारा किए जाएँ तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि दुकानों / बाजारों में मास्क, सामाजिक दूरी, सैनेटाईजेशन एवं अन्य कोविड-19 उचित व्यवहार सम्बंधित शर्तों का सभी व्यक्तियों द्वारा अनुपालन किया जा रहा है।

उक्त आदेशों का उल्लंघन करने वाली दुकानों/ मार्केट/ व्यवसायिक संस्थानों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 60 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई के अतिरिक्त श्रम अधिकारी की रिपोर्ट पर दुकान/ बाज़ार/ व्यवसायिक संस्थान को न्यूनतम 03 दिनों के लिए पुलिस द्वारा सील कर दिया जाएगा।

(राघव शर्मा, भा.प्र.से)
अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं
जिला दण्डाधिकारी, ऊना
जिला ऊना, (हि.प्र.)।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित है :-

1. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला को सूचनार्थ हेतु ।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला को सूचनार्थ हेतु ।
3. पुलिस अधीक्षक, ऊना (हि.प्र.) को अनुपालन हेतु ।

4. समस्त उप मंडलाधिकारी (ना.), जिला ऊना (हि.प्र.) को अनुपालन हेतु ।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ऊना (हि.प्र.) को अनुपालन हेतु ।
6. समस्त तहसीलदार, जिला ऊना (हि.प्र.) को अनुपालन हेतु ।
7. श्रम निरीक्षक, ऊना (हि.प्र.) को अनुपालन हेतु ।
8. समस्त श्रम अधिकारी, ऊना (हि.प्र.) को अनुपालना हेतु।
9. समस्त व्यापार मंडल, ऊना (हि.प्र.) को अनुपालना हेतु।
10. जिला जनसंपर्क अधिकारी, ऊना (हि.प्र.) को व्यापक प्रचार हेतु ।

(राघव शर्मा, भा.प्र.से)
अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं
जिला दण्डाधिकारी, ऊना
जिला ऊना, (हि.प्र.)।